



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2694]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2019/श्रावण 25, 1941

No. 2694]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2019/SHRAVANA 25, 1941

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(सीडब्ल्यू-I अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2019

का.आ. 2957(अ).—यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (2) में यथानिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अगस्त, 2019 को उक्त अधिनियम के लागू होने की तिथि घोषित करती है।

[फा. सं. 30/2/2018-सीडब्ल्यू-I]

आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(CW-I Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2019

S.O. 2957(E).—In exercise of the Powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019 (25 of 2019), the Central Government hereby appoints the 16th August, 2019 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 30/2/2018-CW-I]

AASTHA SAXENA KHATWANI, Jt. Secy.